FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

मालाराम बनाम मनमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 54 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.2.18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20.2.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20.2.18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता से एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत के चारो ओर पत्थर के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर पत्थरबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का पत्थरबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली	

फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर ले कर हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 195

दिनांकः– 20.2.18

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. मालाराम पुत्र पेमाराम वगैरा 6 जाति जाट निवासी चक सन्तरा तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

1. पूनमाराम पुत्र जगमालराम वगैरा 20 निवासी चैनपुरा तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 54 / 18

आदेश

मौजा चक सन्तरा पटवार हल्का सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 278 / 7, 283 / 23 रकबा क्रमशः 14.08, 18.02 बीघा, मौजा रिड़िया रामदेव नगर पटवार हल्का सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 193 / 9 रकबा 08.03 बीघा, मौजा पाउण्डरी पटवार मण्डल चिड़िया के खेत खसरा नम्बर 6, 98 रकबा क्रमशः 33.04, 25.00 बीघा, मौजा चैनपुरा पटवार मण्डल खारापार के खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 61.19 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO)
(हेमराम चौहान)
बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 196–200

दिनांकः– 20.2.18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सन्तरा / चिड़िया / खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मालाराम पुत्र पेमाराम वगैरा 6।
4. विप्रार्थीगण श्री पूनमाराम पुत्र जगमालराम वगैरा 20।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु

Scanned by CamScanner